न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 141/11

1. श्रीमती रूकमणी बाई पुत्री स्व0 श्री रतन लाल जी पत्नी श्री भीमराज जी जाति लश्करी निवासी मारवाडा चौकी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. कुमारी कविता पुत्री स्व0 श्री रतनलाल जाति लश्करी आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली बहिन स्वयं श्रीमत रूकमणी बाई पुत्री स्व0 श्री रतनलाल पत्नी श्री भीमराज जाति लश्करी निवासी मारवाडा चौकी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती सरस्वती देवी पुत्रवधु स्व0 श्री रतन लाल पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति लश्करी निवासी छोटी बारेखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. कुमारी निकिता पौत्री स्व0 श्री रतनपाल जी पुत्री स्व0 श्री हंसराज नाबालिग जरिये वली माता स्वयं श्रीमती सरस्वती देवी विधवा पत्नी स्व0 हंसराज जाति लश्करी निवासी छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. श्री रामनारायण पुत्र श्री मोती लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पूरण पुत्र श्री गणेशराम जाति लश्करी निवासी ग्राम छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. कुमारी रेखा पुत्री स्व0 रतनलाल जी जाति लश्करी निवासी ग्राम छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. कुमारी रजन्ती पुत्री स्व0 श्री रतनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 रामनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा की आराजी गत खसरा नम्बर 338/9 की 11 बीघा

बिस्वा एवं खसरा नम्बर मिन 3581/8 की 10 बीघा 16 बिस्वा कुल 22 बीघा 04 बिस्वा श
जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 10, 199 व 184/470 कायम किये हैं । आराजी खसरा नम्
338/9 सेटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 10 बनाये हैं, खसरा नम्बर 338/9 का रकबा 11 बी
08 बिस्वा वादी के खाते में राजस्व अभिलेख में दर्ज था । भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त नम्बर के न
नम्बर खसरा नम्बर 1010 बनाये हैं एवं उसका रकबा 1.19 हैक्टर दर्ज किया है । इसी प्रक
वादी के खाते में सेटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 10 की भूमि पूर्व के रकबे के अनुसार दर्ज
कर 1.84 हैक्टर के स्थान पर 1.19 हैक्टर दर्ज कर दी । इस प्रकार वादी की 0.65 हैक्टर भू
कम दर्ज की और उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दी । मौके पर वर्तमान में पूर्व व
खसरा नम्बर 339/9 के रकबे 11 बीघा 08 बिस्वा भूमि मौजूद है व वादी उस पर निरन्तर अवाध
रूप से काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि रकबा 0.65 हैक्टर से वादी को बेदखल करने
पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि
वादी के कब्जे काश्त की आराजी गत खसरा नम्बर 338/9 रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा तथा
358/18 की 10 बीघा 16 बिस्वा कुल 22 बीघा 04 बिस्वा जिसके वर्तमान में सेटलमेंट विभाग ने
नये खसरा नम्बर 10, 199, 184/170 बनाये हैं में अथवा उसके किसी भी भाग से वादीगण को
बेदखल न करे उस पर कब्जा न करे न अपने प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार
करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एवं डिक्री
पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 से व्यथित होकर
प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने
एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद
अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस दिये
बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी
नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.10.2011 को पटवारी हल्का
द्वारा नक्शे में तरमीम करने की जानकारी देने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एंव डिक्री की नकल
प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील
प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली
तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तु
कर निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद में श्री रतनलाल का दिनांक 07.09.2003 एवं प्रतिवादीगण गणेश
राम का दिनांक 31.01.2006 को देहावसान हो गया था तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा मृतक
प्रतिवादीगण के वारिसान अपीलान्ट को रिकॉर्ड पर लिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये
बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । प्रतिवादीगण रतनलाल एवं श्री गणेशराम के देहावसान
की पुष्टि हेतु अपीलान्ट द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है जो प्रस्तुत प्रकरण के

...रण हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं । अतः प्रार्थना है कि उक्त दस्तावेजात को पेश करने ...र्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी बहस अपील, अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीन न्यायालय में पेश किये गये वाद में श्री रतनलाल का दिनांक 07.09.2003 को ही देहावसान गया था तथा श्री गणेशराम जी का दिनांक 31.01.2006 को देहावसान हो गया था मृ प्रतिवादीगण के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कि बिना ही मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित निर्णय अवैध एवं अप्रभावी होने से निरस्तनीय है रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया वाद कानूनन अबेट हो गया था त मृतक व्यक्ति के वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की जिम्मेदारी वादी की होती है । इस आधार भी उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 188 राजस्थान काश्तक अधिनियम के बाद में तरमीम दुरूस्ती इन्द्राज की रिलीफ देने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस देव एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने द की प्लीडिंग के विपरीत बिना किसी आधार के नक्शे में तरमीम करने तथा अपीलान्ट की आरा खसरा नम्बर 14 की भूमि वादी रेस्पोडेन्ट को दिये जाने का आदेश पारित किया है । प्रस्तु प्रकरण में अपीलान्ट स्व0 श्री गणेशराम एंव स्व0 श्री रतनलाल जी के वारिस एवं उत्तराधिकारी इस आधार पर अपीलान्ट यह अपील पेश कर रहा है । वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 की कोई भूमि क नहीं हुई है वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने गलत तथ्यों के आधार पर उक्त वाद डिक्री करवाया है त निरस्तनीय है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी दूस पक्षकार को सुना जावेगा । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायाल द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2017 डी.एन.जे. (एससी पेज 415, 2013 (3) डीएनजे (राज0) पेज 987, 1989 आरआरडी पेज 667, 2012 (2) आरआरट पेज 1267, 2012 (1) आर.आर.टी. पेज 189, लिमिटेशन के सम्बन्ध में 2017 डीएनजे (एससी) पेज 415, 2005 (1) आरआरटी पेज 508, 2010 (2) आरआरटी पेज 1306, 2009 आरआरडी पेज 195 2010 (2) आरआरटी पेज 1151, 2011 (2) आरआरटी पेज 991, 1993 आरआरडी पेज 788, 200 (1) आरएलडब्ल्यू (राज0) पेज 670, 2000 (1) आरएलआर पेज 598, 2003 (4) आरएलडब्ल्य (एससी) पेज 509, 2005 (1) आरएलडब्ल्यू (राज0) पेज 131, 2006 (1) आरएलआर पेज 396 2003 (4) आरएलडब्ल्यू (राज0) पेज 2323, 2011 (1) डीएनजे (राज0) 414, 2007 डीएनजे (एससी) पेज 1070, 2015 डीएनजे (एससी) पेज 179 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अपनी भूमि अपील प्रस्तुत करने के पूर्व ही बेचान कर दी इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट ने बेचान की प्रतियॉ न्यायालय में पेश की हैं । प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट वर्ष 1998 से 2000 तक जवाबदावा के लिए समय चाहते रहे उसके बाद वर्ष 2002 में प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया । प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र आदि नहीं लगवाया । प्रतिवादीगण की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित होते रहे हैं । सेटलमेंट विभाग द्वारा अपीलान्ट का एक इंच भी रकबा कम नहीं किया है । नामान्तरकरण संख्या 64 के अनुसार बंटवारा हुआ है जिसकी पूरी डिटेल है। प्रस्तुत प्रकरण में गणेशराम एवं रतनलाल ने जमीन बेचान कर दी और उनके वारिस वाद लेकर आए हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के अभिभाषक उपस्थित होते रहे हैं और अभिभाषक

उपस्थिति पक्षकार की उपस्थिति मानी जाती है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण प्रस्तुत किये हैं वह उचित एवं संतोषप्रद नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु 15 अवसर प्रदान किये थे । अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के 06 वर्ष बाद प्रस्तुत की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं क्योंकि प्रतिवादीगण की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित होते रहे हैं और उन्हें सुनवाई हेतु भी 15 बार अवसर प्रदान किये गये हैं । अपीलान्ट द्वारा भूमि बेचान कर दी गई है अब उसे पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए अपील व्यर्थ होने से भी खारिज फरमाई जावे । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये उन दस्तावेजात की अपीलान्ट को पहले से ही जानकारी थी । अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी कारण के पेश किया गया है वह अत्यधिक देरी से पेश किया है जो किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलान्ट द्वारा जिस अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है वह निर्णय दिनांक 29.08.2006 का है जबकि फौती इंतकाल संख्या 354 दिनांक 02.09.2009 को खुला है । इस प्रकार उक्त दस्तावेज इतनी लम्बी अवधि के बाबत् कानून रिकॉर्ड पर लिये जाने योग्य नहीं है । उक्त दस्तावेज कानूनन रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का खारिज फरमाया जावे । अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने तथा अपीलान्ट प्रस्तुत अपील में व्यथित पक्षकार नहीं होने से तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बेचान करने से अपीलान्ट की अपील व्यर्थ हो जाने से भी अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में आरबीजे 2011 पेज 352 से 353, आरआरडी 1994 पेज 693 से 695, आरबीजे 2010 पेज 289 से 290, आरबीजे 2012 पेज 686 से 688, आरबीजे 2004 पेज 199 से 202, आरआरटी 2002 (I) पेज 129 से 134, 2015 डीएनजे (एससी) पेज 960, आरआरटी 2012 पार्ट (II) पेज 860, आरबीजे 1998 पेज 50 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं साक्ष्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है । उक्त वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित हुए थे उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया इस कारण से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया था । प्रस्तुत प्रकरण में जो अपीलाण्टगण हैं उनमें पूरण जीवित है और उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रारम्भ से ही जानकारी थी । अपीलान्ट अपनी भूमि बेचान कर दी और उक्त भूमि बेचान करने के बाद उक्त अपील पेश की है इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होना भी साबित नहीं है । ऐसी स्थिति में उसे पक्षकार बनाया जाना भी न्यायहित में आवश्यक नहीं था । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 के विरूद्ध वर्ष 2011 अर्थात् 5–6 वर्ष बाद प्रस्तुत की है और विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण के अभिभाषक उपस्थित होते रहे हैं और अभिभाषक की उपस्थिति पक्षकार की उपस्थिति मानी जाती है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के जो कारण प्रस्तुत किये हैं वह उचित एवं संतोषप्रद नहीं हैं । हमने 2012 (2) आरआरटी पेज 860 का अवलोकन किया उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि सिविल प्रकिया संहिता, 1908 – आदेश 22, नियम 4 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 88 गोदपुत्र के आधार पर एसडीओर ने अपीलान्ट को भूमि का खातेदार घोषित किया – मृतक खतोदार की पुत्रियों की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई और डिक्री अपास्त की – विचारण के दौरान रेस्पोडेन्ट क्रम 14 की मृत्यु हुई – मृतक बी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया – आदेश 22 नियम 4 (4) के

मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के प्रति स्थापन की आवश्यकता नहीं है – मृतक
द्ध अनुतोष नहीं चाहा निर्णित – अपील उपशमित नहीं हुई । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकर
अपीलान्ट ने अपनी भूमि बेचान कर दी और उक्त भूमि बेचान करने के बाद उक्त अपील पे
है इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होना भी साबित नहीं है । ऐसी
में उसे पक्षकार बनाया जाना भी न्यायहित में आवश्यक नहीं था । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकर
अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होना साबित नहीं है ।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में अ
अपीलान्ट मियाद बाहर होने तथा अपीलान्ट प्रस्तुत अपील में व्यथित पक्षकार नहीं होने से
अपीलान्ट द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बेचान करने से अपीलान्ट की अपील व्यर्थ हो जाने से
अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायाहित में उचित समझते है

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने तथा अपीलान्ट प्रस्
अपील में व्यथित पक्षकार नहीं होने से तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बेचान करने
अपीलान्ट की अपील व्यर्थ हो जाने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पा
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 141/11

1. श्रीमती रूकमणी बाई पुत्री स्व0 श्री रतन लाल जी पत्नी श्री भीमराज जी जाति लश्करी निवासी मारवाडा चौकी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. कुमारी कविता पुत्री स्व0 श्री रतनलाल जाति लश्करी आयु 16 वर्ष नाबालिग जरिये वली बहिन स्वयं श्रीमत रूकमणी बाई पुत्री स्व0 श्री रतनलाल पत्नी श्री भीमराज जाति लश्करी निवासी मारवाडा चौकी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती सरस्वती देवी पुत्रवधु स्व0 श्री रतन लाल पत्नी स्व0 श्री हंसराज जाति लश्करी निवासी छोटी बारेखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. कुमारी निकिता पौत्री स्व0 श्री रतनपाल जी पुत्री स्व0 श्री हंसराज नाबालिग जरिये वली माता स्वयं श्रीमती सरस्वती देवी विधवा पत्नी स्व0 हंसराज जाति लश्करी निवासी छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्री रामनारायण पुत्र श्री मोती लाल जाति लश्करी निवासी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पूरण पुत्र श्री गणेशराम जाति लश्करी निवासी ग्राम छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. कुमारी रेखा पुत्री स्व0 रतनलाल जी जाति लश्करी निवासी ग्राम छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. कुमारी रजन्ती पुत्री स्व0 श्री रतनलाल जाति लश्करी निवासी ग्राम छोटी बोरखण्डी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

संख्याः 818/दावा/2001

श्री रामनारायण आत्मज श्री मोती लाल लश्करी ग्राम बोरखण्डी तहसील लाडपुरा ।

——वादी

बनाम

1. श्री गणेश राम आत्मज औंकार लश्करी निवासी बोरखण्डी की झौपडियॉ ।
2. श्री रतन लाल आत्मज गणेश राम ।
3. श्री पूरन आत्मज गणेश राम निवासी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने तथा अपीलान्ट प्रस्तुत अपील में व्यथित पक्षकार नहीं होने से तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बेचान करने से अपीलान्ट की अपील व्यर्थ हो जाने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2006 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 27.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा